कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर

पत्रांक /कन्या वि0 धन/ 8008-9 /2013–14 दिनांक 26 नवम्बर 2013.

प्रेस विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या 1152/15–10–2013 –47(2) /12 टी0सी0 शिक्षा अनुभाग – 10 लखनऊ दिनांक 18 नवम्बर 2013 द्वारा प्रदेश में कन्या विद्या धन योजना लागू की गयी है। छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन स्वरूप रूपया 20000.00 की धनराशि एक मुश्त उनके द्वारा खोले गये राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में अंतरित की जायेगी। अतः जनपद के उन छात्राओ जो वर्ष 2013 में इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो अथवा जिन्होंने हाईस्कूल उत्तीर्ण करने के उपरान्त पॉलीटेक्निक अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कम से कम 02 वर्ष का डिप्लोमा अथवा ट्रेड सर्टीफिकेट सफलता पूर्वक प्राप्त किया हो तथा जिनके परिवार की सकल आय रू0 35000/– से अधिक न हो, से संलग्न निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र, छात्रा जिस विद्यालय से वर्ष 2013 की संस्थागत छात्रा के रूप मे इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो के प्रधानाचार्य द्वारा अथवा सम्बन्धित पॉलीटेक्निक /औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा संस्तुति / अग्रसारित करने के उपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर के कार्यालय मे जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र निम्नांकित शर्तो की पूर्ति करते हुए वांछित अभिलेख संलन किये जाय।

1. वर्ष 2013 की संस्थागत इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष –12वीं/ पॉलीटेक्निक अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कम से कम 02 वर्ष का डिप्लोमा अथवा ट्रेड सर्टीफिकेट सफलता पूर्वक प्राप्त किया हो। उत्तीर्ण अंक पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाय।
2. उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र (6 माह के अन्दर का) की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाय।
3. आवेदन पत्र के साथ जनपद के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सी0बी0एस0(कोर बैंकिग सेवा) के तहत खोले गये बैक पासबुक की पठनीय स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाय। राष्ट्रीयकृत बैक में सी0बी0एस0(कोर बैंकिग सेवा) के तहत खाता न होने पर योजना का लाभ प्रदान नही होगा।
4. आवेदन पत्र पर वर्ग (सामान्य/अ0पि0व0/अल्प संख्यक/अनु0जा0/अनु0ज0जा0) का उल्लेख स्पष्ट रूप से अंकित करें।
5. आवेदन पत्र पूर्ण रूप से स्पष्ट एवं पठनीय भरा हो तथा निर्धारित स्थान पर छात्रा एवं अभिभावक का हस्ताक्षर होने चाहिए। अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।
6. छात्राएं अपना आवेदन पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य से संस्तुति /अग्रसारित कराकर समस्त वांछित अभिलेखों के साथ कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर में दिनांक 31.12.2013 के सांयकाल 5.00 बजे तक अवश्य जमा करं दे। निर्धारित समय /तिथि 31.12.2013 के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें।
7. अपूर्ण आवेदन पत्र/अभिलेख संलग्न न होने पर स्वीकार नही किया जायेगा।
8. डाक से प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकार नही किया जायेगा।
9. आवेदन पत्र एवं जानकारी हेतु वेबसाईट www.gorakhpur. up.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
10. जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आय के आरोही कम में छात्राओं को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।

(सतीश सिंह)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
गोरखपुर

(रवि कुमार एन.जी.)
जिलाधिकारी
गोरखपुर।

पृष्ठांकन संख्याः कन्या वि0 धन/ 8008-9 /2013–14 दिनांक वही।

प्रतिलिपि निम्नलिखित सम्पादक महोदय को आवेदन पत्र की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने सम्मानित समाचार के अगले अंक में न्यूनतम् स्पेस में विज्ञप्ति/ आवेदन पत्र एक साथ प्रकाशित करने का कष्ट करें प्रकाशन के उपरान्त बिल को भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

1. दैनिक जागरण गोरखपुर।
2. हिन्दुस्तान गोरखपुर।

(सतीश सिंह)
जिला विद्यालय निरीक्षक
गोरखपुर।

N.I.C

" कन्या विद्या धन योजना" वर्ष 2013 - 14 हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

छात्रा के जाति के वर्ग का नाम...

प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित फोटो लगाये

1. छात्रा का नाम...
2. माता/पिता/पति का नाम (क) माता का नाम ....
   (ख)पिता का नाम ....
   (ग)पति का नाम...
3. (क) छात्रा का स्थायी पता ....
   ....
   (ख) पत्र व्यवहार का पता ....
4. राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम (पासबुक की छाया प्रति संलग्न करें)...
   आई0एफ0एस0 सी0कोड ....खाता संख्या ....
5. क्या आवेदक अनुसूचित जाति का/अन्य पिछड़ा वर्ग का है , यदि हॉ तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।
   (क) तहसील का नाम.. (ख) जाति प्रमाण पत्र का आवेदन कमांक ....
   (ग) जाति प्रमाण पत्र का कमांक.. (घ) जाति ....
6. जन्म तिथि...............................दिनांक................................माह...............................वर्ष ....
7. इण्टरमीडिएट परीक्षा/पॉलीटेक्निक अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से डिप्लोमा अथवा ट्रेड सर्टीफिकेट उत्तीर्ण करने का वर्ष (अंक पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें) .... अनुक्रमांक............................ वर्ष...................................
8. बोर्ड का नाम ....
9. विद्यालय /पॉलीटेक्निक अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम से इण्टर परीक्षा /डिप्लोमा अथवा ट्रेड सर्टीफिकेट उत्तीर्ण की हो ....
   ....
10. आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करें)...
    (क) तहसील का नाम.. (ख) आय प्रमाण पत्र का आवेदन कमांक ....
    (ग) आय प्रमाण पत्र का कमांक.. (घ) वार्षिक आय ....
11. अभिभावक का व्यवसाय..
    कार्यरत स्थान का पता..
    मोबाइल नम्बर ....

छात्रा की घोषणा

मैं, घोषणा करती हूॅ कि मेरे द्वारा दी गयी समस्त सूचनायें एवं विवरण पूर्णतः सत्य है।

(प्रार्थिनी का हस्ताक्षर)

माता– पिता / अभिभावक की घोषणा

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता/ करती हूॅ कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर दी गयी जानकारी सत्य है । यदि इसमें कोई त्रुटि पायी जाती है, तो मेरे पाल्य का आवेदन –पत्र निरस्त कर दिया जाय। इसके लिए मुझे कोई आपत्ति न होगी।

(माता–पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर/अंगॅूठे का निशान)

प्रधानाचार्य/ प्रधानाचार्या का सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि कु0 ....पुत्री ....निवासी...
.........मेरे संस्था की संस्थागत छात्रा रही है और वर्ष 2013 में इनके द्वारा 12वीं कक्षा /डिप्लोमा अथवा ट्रेड सर्टीफिकेट उत्तीर्ण की गई है। इनके द्वारा भरा गया समस्त विवरण सत्य है।

(प्रधानाचार्य/ प्रधानाचार्या के हस्ताक्षर सहित मुहर)

टिप्पणी – अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा /पॉलीटेक्निक या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कम से कम 02 वर्ष का डिप्लोमा अथवा ट्रेड सर्टीफिकेट पास करने का अंक पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

नोटः– जिला विद्यालय निरीक्षक ,गोरखपुर के कार्यालय में जमा किया गया आवेदन पत्र ही मान्य होगा।